

**बिहार सरकार,**  
**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**  
**कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।**  
**(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)**

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खां मार्ग, पटना-800 014  
संख्या—व.सं./ 13 / 2018—

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०ब०से०,  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
पटना अंचल, पटना।

पटना-14, दिनांक—..... / ..... / 2020

विषय : रिलायर्स जियो इन्फोकॉम लि० (जियो डिजिटल फाईबर प्रा० लि०) द्वारा पटना एवं नालंदा जिलान्तर्गत फतुहाँ—बिहारशरीफ एवं चण्डी—बाढ़ पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.72336 हेतु वन भूमि का “स्टेट कॉडिनेटर, बिहार, पटना के पक्ष में” अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूपीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा—2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 11-09/98 FC दिनांक 07.09.2015 के आलोक में तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, के पत्रांक 298 (ई०) दिनांक 28.02.2020 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को Stage-I स्थीकृति निर्गत करने हेतु सहमति संसूचित की गयी है।

तदआलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ रिलायर्स जियो इन्फोकॉम लि० (जियो डिजिटल फाईबर प्रा० लि०) द्वारा पटना एवं नालंदा जिलान्तर्गत फतुहाँ—बिहारशरीफ एवं चण्डी—बाढ़ पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु 0.72336 हेतु वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जाती है—

- (i) अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत् रहेगा।
- (ii) यद्यपि परियोजना निर्माण में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं होना है, परन्तु हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों का रैखिक वृक्षारोपण परियोजना खर्च पर किया जायेगा। इस निमित्त प्रयोक्ता एजेंसी रु० 7,16,466/- मात्र को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध करायेगी।
- (iii) क्षतिपूरक वनीकरण मद की कुल राशि रु० 7,16,466/- (रूपये रात लाख सोलह हजार बार सौ छियासठ) मात्र को मंत्रालय के वेब—साईट [parivesh.nic.in](http://parivesh.nic.in) से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराया जायेगा।
- (iv) उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की गुल प्रति दी जाय।

- (v) वर्तमान में इस परियोजना में NPV मद की राशि जमा करने से प्रयोक्ता एजेंसी को छूट प्रदान की गयी है, परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा संशोधन या NPV के दर में वृद्धि होने पर राशि जमा करने के संबंध में प्रयोक्ता एजेंसी को बचनबद्धता देनी होगी कि उनके द्वारा अतिरिक्त/अन्तर की राशि जमा की जायेगी।
- (vi) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।
- (vii) वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री निकालने के लिये नहीं किया जायेगा, और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।
- (viii) वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा नये पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।
- (ix) वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।
- (x) वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को ईंधन आपूर्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा। प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/रक्षानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वन एवं वन्य प्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्य एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं।
- (xi) परियोजना निर्माण में नालंदा जिलान्तर्गत अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया है। पटना जिलान्तर्गत अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Stage-II खीकृति के पूर्व जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र उपलब्ध उपलब्ध कराया जायेगा। परियोजना निर्माण में दोनों जिलान्तर्गत कुल 0.72336 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही प्रयोक्ता एजेंसी को Working permission निर्गत किया जायेगा।
- (xii) वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- (xiii) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय-समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।
- (xiv) यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्त आवश्यक होगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह बाध्यकारी होगा।
- (xv) उपभोक्ता अभिकरण (इस मागले में रेटेट कॉडिनेटर, बिहार पटना) अपयोजित वन भूमि को किसी भी अन्य व्यक्ति/प्राधिकार/विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन/हस्तान्तरण/अग्न्यर्पण (assignment) नहीं करेगी।  
अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश सामान्य ज़िलों के लिये 1 (एक) हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन की शक्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को देने के क्रम में अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जाता है।

उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना के माध्यम से प्राप्त होने के पश्चात विषयांकित परियोजना के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी। नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा वन भूमि अपयोजन की अन्तिम स्वीकृति आदेश निर्गत करने के पश्चात वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह० /-

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक—व.सं./13/2018-२२। दिनांक ०२/०८/२०२०

प्रतिलिपि: वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा वन प्रमंडल बिहारशरीफ/पटना/रटेट कॉडिनेटर, बिहार, बी०  
डी० कम्प्लेक्स, फ्लॉट न० 210 एवं 233 रूपसपुर, बेली रोड, दानापुर, पटना को रूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ (राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

